सुभाषित

वाणी मनुष्यकी सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति संसारको अपना मित्र बना सकता है। अतः वाणीको नियंत्रित और मर्यादित रखें। ❒ **चाणक्य नीति**

सियासी फितरत

जम्मू कश्मीरके पूर्व मुख्य मंत्री और नेशनल कांफ्रेंसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्लाने शनिवारको बारामूलामें पार्टी कार्यकर्ताओंको सम्बोधित करते हुए जो बयान दिया है, वह न केवल विवादास्पद और देशकी मर्यादाके प्रतिकूल है अपितु यह उनकी विकृत मानसिकताका भी परिचायक है। फारूक का कहना है कि अन्तरराष्ट्रीय मंचोंपर कश्मीर मूद्देको बरकरार रखकर पाकिस्तानने कश्मीरियोंको बचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरियोंको लेकर भारत सरकारकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए सरकार जम्मू-कश्मीरके मुद्देपर खामोश है, क्योंकि उसपर दुनियाका दबाव है। फारूक अब्दुल्लाका यह प्रलाप कोई नयी बात नहीं है। ऐसे विवादास्पद बयान वह अनेक बार देते रहे हैं। यह फारूक अब्दुल्लाकी सियासी फितरत है जिससे कि वह सुर्खियोंमें बने रहें। भारत सरकारकी मंशापर सवाल उठाना और अपने राजनीतिक हितोंके लिए शत्रु देशका महिमामंडन करना कहीं से भी उचित और मर्यादित नहीं है। जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारतमें घुसकर निर्दोष लोगोंकी हत्या करते हैं तब शायद फारूक अब्दुल्लाकी आखें बन्द रहती हैं। फारूक अब्दुल्ला कई जिम्मेदार पदोंपर रह चुके हैं उनसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। शत्रु देशका महिमामंडन करना शायद उनके लिए राजनीतिक संजीवनी हो सकती है लेकिन यह राष्ट्रभक्ति कदापि नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तानको कश्मीरियोंके हितोंकी रक्षा करने वाली शक्तिके रूपमें प्रस्तुत करनेका दुस्साहस किया है, जो अक्षम्य है। पाकिस्तान और भारतके बीच कश्मीरको लेकर सात दशकोंसे अधिक पुराना विवाद है। पाकिस्तानकी ओर से अन्तरराष्ट्रीय मंचोंसे कश्मीरका मुद्दा उठाया जाना नयी बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्रके अनुसार भी १९४७ के बाद कश्मीर पाकिस्तान विवादका विषय बना हुआ है और कई बार संघर्ष भी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान सम्बन्धी टिप्पणीको केन्द्र सरकारके विरुद्ध राजनीतिक दबाव बनानेकी रणनीतिके रूपमें भी देखा जा सकता है लेकिन राजनीतिक रणनीतिके लिए ऐसी भाषाका चुनना प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस बयानका सबसे अधिक प्रभाव जम्मू-कश्मीरकी स्थानीय राजनीतिपर पड़ सकता है। फारूकके बयानकी निन्दाकी जा रही है। इससे लोग आक्रोशित भी हैं। कई राजनीतिक और सामाजिक संघटन फारूकके बयानको देशद्रोहकी श्रेणीमें रख रहे हैं। जो भी हो, फारूकका बयान पूरी तरह से निन्दनीय है और इसके लिए उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए।

भाऊ का प्रत्यर्पण जरूरी

भारतके मोस्ट वांटेड भगोड़ोमें शामिल हरियाणाके गैंगस्टर हिमांशु भाऊको उसके साथी नीरज फरीदपुरियाको अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अमेरिकाके लास वेगास शहरसे गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनोंको लास वेगासके बाहर नेवादाके हेंडरसन स्थित डिटेंशनमें आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आइसीई) की हिरासतमें रखा गया है। भाऊके खिलाफ भारतमें हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और यूएपीएके तहत करीब ५० से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं जिसका एक लीगल डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसे सीबीआई अमेरिकी विदेश विभाग और फेडरल कोर्टके सामने पेश करेगी ताकि उसका प्रत्यर्पण कराया जा सके। उम्मीद है कि शीघ्र ही अधिकारियोंकी एक टीम उसे भारत लानेके लिए अमेरिका जा सकती है। दूसरी ओर हिमांशु भाऊ ने अगस्त २०२२ में उत्तर प्रदेशके बरेलीसे कुनाल सिंहके नामपर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और इसीके सहारे अमेरिकामें दाखिल हुआ था। भारत सरकार अमेरिकी इमिग्रेशन कोर्टमें उसके निष्कासनके लिए इसीको आधार बना रही है। लेकिन अगर मामला भारत-यूएस प्रत्यर्पण संधि (१९९७) के तहत जाता है तो तो भाऊका बचना असम्भव हो जायगा क्योंकि प्रत्यर्पण नियमके तहत हत्या और जबरन वसूली भारत और अमेरिका दोनों ही देशोंमें गम्भीर अपराध है। लम्बे समय से वैश्विक एजेंसियोंकी रडारपर चल रहे हिमांशु भाऊको हरियाणा एसटीएफकी सूचनापर अमेरिकी कमांडोने लास वेगासके उसके ठिकाने से उसके करीबी मददगार नीरज फरीदपुरियाके साथ दबोच लिया। भाऊ को १७ साल की उम्रमें एक हत्याके प्रयासके आरोपमें हिरासतमें लिया गया था लेकिन वह २०२० में हिसारके बाल सुधार गृहसे फरार हो गया था, तब से वह विदेशमें बैठकर दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्योंमें संगीन वारदातोंको अंजाम दिलाता रहा। भाऊ की तरह ऐसे कई अपराधी हैं जो विदेशोंमें बैठकर भारतमें अपने नेटवर्कका संचालन कर रहे हैं। खास बात यह है कि कुछ देश विरोधी शक्तियां भी इनके सम्पर्क में हैं जो इनसे मदद ले भी रही हैं और कर भी रही हैं। देशकी स्थिरता और शांति व्यवस्था बनाये रखनेके लिए इनकी नकेल कसना जरूरी है।

लोक संवाद

वायु प्रदूषण

महोदय,-दिल्लीमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक ही दिनमें १७९ से बढ़कर २४४ (खराब) होते ही प्रशासनने सराहनीय तत्परता दिखाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लानका पहला चरण (ग्रैप) लागू कर दिया है। एक्यूआई स्तरसे संबंधित चार चरणों वाली इस योजनाके पहले चरणमें कोयला और लकड़ी जलाने (रेस्तरां और खुले भोजनालयोंमें इस्तेमाल होने वाले तंदूर सहित) और कुछ विशेष परिस्थितियोंको छोड़कर डीजल जेनरेटरके उपयोगपर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम दिल्लीकी शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजनासे लगभग एक सप्ताह पहले उठाया गया है। इसके तहत वैध प्रदूषण-नियंत्रण प्रमाणपत्र न होनेपर वाहनोंको पेट्रोल पंपोंसे ईंधन देनेपर रोक होगी, भारत उत्सर्जन मानकोंको पूरा न करने वाले बाहरी वाहनोंके प्रवेशपर प्रतिबंध होगा, ५० फीसदी कर्मचारियोंके लिए घरसे कामको अनिवार्य करना होगा, निजी वाहनोंके इस्तेमालको हतोत्साहित करनेके लिए पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जायगा और निर्माण कार्योंपर भी पाबंदी लगायी जायगी। ये नियम फरवरीके अंततक लागू रहेंगे। ये प्रारंभिक कदम, दुनियाभरमें कुख्यात शहरके शीतकालीन प्रदूषणको नियंत्रित करनेके सराहनीय प्रयास हैं। हालांकि धानकी पराली जलानेकी शुरुआत, हवाकी गतिमें अचानक गिरावट, दिल्ली सरकारकी निगरानी क्षमता और दीवालीके दौरान भारी आतिशबाजीकी संभावनाको देखते हुए अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि ये कदम कितने कारगर रहेंगे। आतिशबाजीपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना समझसे परे है। नागरिकोंको आने वाली सर्दियोंमें स्वच्छ हवा मिले, यह सुनिश्चित करनेमें ये केवल कुछ चुनौतियां हैं। कारगर होनेके लिए प्रवर्तनका दायरा कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए, जो दिल्ली सरकारके अधिकार क्षेत्रसे परे है। दिल्ली विशाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रका हिस्सा है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थानके जिले शामिल हैं। इन राज्योंके अधिकांश शहर भारतमें शहरी प्रदूषणका मुख्य स्रोत हैं। दिल्लीकी शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजनाके प्रभावी होनेके लिए, इन क्षेत्रोंके प्रशासनोंको पारस्परिक योजनाएं लागू करनी होंगी। पुराने वाहनों और निर्माणपर मानक प्रतिबंध पिछली सर्दियोंमें ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए हैं और योजनामें तालमेलका कोई प्रमाण नहीं है। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलोंके मंत्रालयके अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण योजनाओंके समन्वयमें उपयोगी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इससे भी समस्याका आंशिक समाधान ही होगा। एक्यूआई रैंकिंगके नवीनतम आंकड़ोंसे पता चलता है कि दिल्ली दुनियाके २० सबसे प्रदूषित शहरोंमें शामिल १३ भारतीय शहरोंमेंसे एक नहीं है। इनमें बुलंदशहर, पाली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रोहतक, कोटा, हापुड़, बीकानेर, बरेली और हिसार शामिल हैं। अन्यमें मुंबई, अगरतला और बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) उत्तरी गंगा क्षेत्रसे बाहर हैं। इनमेंसे कई प्रदूषण फैलाने वाले शहर पराली जलाने वाले क्षेत्रोंके निकट स्थित हैं। रबी फसलके मौसमसे पहले किसान अपने खेतोंको साफ करनेके लिए आग लगाते हैं, उससे निकलने वाले घने धुएंसे कोई भी उत्तरी शहर अछूता नहीं है। अबतक हरियाणा और पंजाब, जो पराली जलानेकी समस्याका केन्द्र हैं, वहांकी सरकारें इस समस्याका कोई ठोस समाधान नहीं दे पायी हैं। इस समस्यामें केन्द्र सरकारका हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि यह दीर्घकालिक केन्द्रीय कृषि नीतियोंका परिणाम है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि उत्तर भारतीय शहरी प्रशासनोंके साथ-साथ ग्रामीण जिलोंको शामिल करने वाली समन्वित कार्य योजनाके बिना, शहरवार प्रदूषण-कार्य योजनाएं काफी हदतक अप्रभावी साबित होंगी। केन्द्र सरकारके लिए अब ठोस कदम उठाना राजनीतिका सवाल नहीं, बल्कि बढ़ते जन-स्वास्थ्य संकटसे निबटनेका मामला है। -**आर.पी. सिंह, वाया ईमेल।**

यूरोपमें छात्रोंका खुला मोर्चा

पिछले हफ्ते फ्रांसमें विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गये तब फ्रांसके धुर दक्षिणपंथी गुटोंने तुरंत नस्लवादी भाषाका इस्तेमाल करते हुए इस हिंसाके लिए मुस्लिम युवाओंको दोषी ठहराया। जुलाईमें जब सैकड़ों प्रवासियोंने मोरक्कोसे स्पेनमें घुसनेकी कोशिश की तो स्पेनके दक्षिणपंथियोंने इसे मोरक्को द्वारा किया गया सुनियोजित हमला बताया।

❒ **पुष्परंजन**

पिछले हफ्ते फ्रांसमें विरोध प्रदर्शनके हिंसक होनेको पड़ोसी देश मोरक्कोसे स्पेनके क्षेत्र स्यूटाको आके हवाले कर दिया। तब स्पेनके धुर दक्षिणपंथियोंने इसे मोरक्कोवासियों द्वारा किया गया सुनियोजित हमला करार दिया। लेकिन फिलहाल पूरे यूरोपमें जो कुछ हो रहा है, उसका ठीकरा मुसलमानों और वामपंथियोंपर फोड़ा जा रहा है। हालांकि यह उम्मीद की जा सकती है कि धुर दक्षिणपंथी गुट संकटोंका फायदा उठाकर इस्लाम-विरोधी भावनाएं भड़कायंगे। अब बात यहींतक सीमित नहीं रह गयी है। पिछले हफ्ते जब फ्रांसमें छात्रोंका विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा था, तब यूरोपीय संसदने चुपचाप एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव इस्लामिस्ट एंट्रीज्म (इस्लामी घुसपैठ) और मुस्लिम ब्रदरहुड नेटवर्कके प्रभावका मुकाबला करनेके लिए एक ईयू रणनीतिकी आवश्यकतापर केंद्रित था। इसे संसदके सबसे बड़े समूहए सेंटर-राइट यूरोपियन पीपल्स पार्टी (ईपीपी) ने पेश किया था। यूरोपीय आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फॉन देयर लॉयन भी इसी समूहसे आती हैं। यह प्रस्ताव ३८१ वोटोंके समर्थनसे पारित हुआए जबकि १६७ वोट इसके खिलाफ पड़े। ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संसदके १५ सदस्य इस मतदानसे दूर रहे। चार अन्य समूहोंने भी लगभग सर्वसम्मतिसे ईपीपीका समर्थन किया। इनमें पैट्रियट्स फॉर यूरोप और यूरोप ऑफ सॉवरेन नेशंस (दोनों धुर दक्षिणपंथी समूह), उदारवादी रिन्यू यूरोप तथा यूरोपियन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स शामिल हैं। सोशल डेमोक्रेट्स, वामपंथी और ग्रीन्सके सांसदोंने ज्यादातर इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाये।

यह प्रस्ताव फ्रांसीसी सरकारकी राजनीतिक इस्लामवादपर आयी एक बेहद विवादास्पद रिपोर्टपर आधारित है। इसमें इस्लामिस्ट एंट्रीज्मको प्रभाव जमाने, धीरे-धीरे ढांचा तैयार करने, संस्थाओंके भीतर पैठ बनाने और विचारधाराको वैधता दिलानेकी एक राजनीतिक रणनीतिके रूपमें परिभाषित किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि इस्लामी प्रभाव कई तरहके संघटनों और फाउंडेशनोंके जरिये काम करता है। इनमें सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, धर्मार्थ, विश्वविद्यालयए युवा, भेदभाव-विरोधी और सामाजिक कार्योंसे जुड़े ढांचे शामिल हैं। यूरोपमें लगभग ४५ से ६२ मिलियन मुसलमान रहते हैं। ये इस महाद्वीपकी कुल आबादीका लगभग ७.६ फीसदी हिस्सा हैं। इनमेंसे सबसे बड़ी संख्या रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटलीमें रहती है। प्यू रिसर्च सेंटरके अनुसार रूसमें अधिकतम १७ फीसदी मुसलमान हैं, जिनमें तातार और चेचेन जैसे मूल निवासी शामिल हैं। फ्रांसमें करीब ६८ लाख मुसलमान हैं, जो कुल आबादीका अधिकतम दस प्रतिशत बताये जाते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूटके अनुसार, जर्मनीकी कुल आबादीमें लगभग सात फीसदी मुसलमान हैं। ब्रिटेनमें ४० लाख मुसलमान हैं, जो कुल आबादीका लगभग छह प्रतिशत हैं। इटलीमें अधिकतम ४० लाख मुसलमान हैं, जो कुल आबादीका लगभग छहसे सात फीसदी हैं। भारतके मुकाबले ये संख्याएं कुछ भी नहीं हैं। फिर भी यूरोप डरा हुआ है। और यह डर दक्षिणपंथी ताकतोंको मजबूत करता है।

इस प्रस्तावको लागू करना यूरोपीय संघके सदस्य देशोंके लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन यूरोपीय राजनीतिमें इसे दर्ज कराना था और यह मकसद पूरा हो गया। मुस्लिम ब्रदरहुड और उससे जुड़े लोगों या संस्थाओंको आतंकवादी सूचीमें डालनेकी मांगके पूरे यूरोपमें लागू होनेकी संभावना कम है, क्योंकि इस आंदोलनने राजनीतिक हथियारके रूपमें हिंसाका त्याग कर दिया है। फिर भी, यह प्रस्ताव एक ऐसे वैचारिक ढांचेको वैधता देता है, जिसके मुस्लिम समुदायोंके लिए गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। आने वाले दिनोंमें इसकी नकल भारतमें भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

यह प्रस्ताव उन मुस्लिम संस्थानों और संघटनोंको संदेहके घेरेमें लाता है, जो सरकारसे स्वतंत्र होकर काम करते हैं। यह मुस्लिम नागरिक समाजकी भागीदारीको एक तरहकी घुसपैठके रूपमें पेश करता है। प्रस्तावमें ब्रसेल्स स्थित यूरोपियन नेटवर्क अगेंस्ट रेसिज्म सहित कई संघटनोंका नाम लिया गया है, जिनपर इस तरहके इस्लामिस्ट व्यवहारको बढ़ावा देनेका आरोप है। प्रस्तावमें मांग की गयी है कि इन संघटनोंको मिलने वाली ईयू फंडिंग रोक दी जाय। बाहरी ताकतें इसका आसानीसे दुरुपयोग कर सकती हैं और ऐसा हो भी चुका है। उदाहरणके लिए संयुक्त अरब अमीरातने यूरोप और अन्य जगहोंपर व्यक्तियों और संघटनोंको मुस्लिम ब्रदरहुडसे संबद्ध बताकर बदनाम करनेके लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव पेश किये जानेसे कुछ महीने पहले, अमीरातके एक राजदूतने यूरोपीय संसदमें आयोजित मुस्लिम ब्रदरहुड : यूरोपके लिए एक वास्तविक खतरा शीर्षक वाले सम्मेलनमें भाग लिया था। यानी इसकी भूमिका पहलेसे ही तैयार कर ली गयी थी।

प्रतीकात्मक रूपसे, यह प्रस्ताव यूरोपकी दक्षिणपंथी मुस्लिमविरोधी ताकतोंके लिए एक बड़ी जीत है। यह प्रस्ताव यह भी दर्शाता है कि यूरोपीय इस्लामोफोबिया किस तरह विकसित हुआ है। अब डर इस बातका नहीं है कि आप्रवासी अजनबी हैं और एकीकृत नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि उन मुसलमानोंसे है, जो अपने लिए बोलने और अपने नागरिक अधिकारोंकी रक्षा करनेमें सक्षम हैं। मध्यम दक्षिणपंथी ताकतोंके लिए यह इस्लामोफोबिक ढांचा राजनीतिक लाभ लेकर आता है। इसके जरियेवे न केवल मुस्लिमविरोधी भय फैलाकर चुनावी लाभ उठा सकती हैं, बल्कि उन वामपंथियोंपर भी प्रहार कर सकती हैं, जो नस्लवाद को अस्वीकार करते हैं और मुस्लिम समुदायोंके पक्षमें खड़े होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्रांसके राजनीतिक परिदृश्यमें इस्लामो-वामपंथ (फ्रांसीसीमें इस्लामो-गोशिज्म) के विचारको बढ़ावा दिया जा रहा है। वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इंसौमिस (फ्रांस अनबाउंड) के ज्यां-ल्यूक मेलेंशों हाशियेपर पड़े समुदायोंके बीच विशेष रूपसे लोकप्रिय हैं और राष्ट्रपति पदके प्रबल दावेदार हैं। अब उनपर 'दंगाइयों' को उकसानेका आरोप लगाया जा रहा है, जिनके बारेमें संकेत दिया जा रहा है कि वे मुसलमान हैं। वामपंथियों और मुसलमानोंपर यह दोहरा हमला पुराने 'यहूदी-बोल्शेविक' साजिश सिद्धांत की याद दिलाता है, जिसमें यहूदियोंपर पश्चिमी सभ्यताको नष्ट करनेके उद्देश्यसे साम्यवाद फैलानेका आरोप लगाया गया था। आज 'इस्लामो-वामपंथ' रूढ़िवादियों, उदारवादियों और धुर दक्षिणपंथियोंके लिए 'बलिका बकरा' बन गया है। उनका मकसद मुसलमानोंके बिना एक किलेबंद यूरोप बनाना प्रतीत होता है।

पिछले हफ्ते जब फ्रांसमें छात्रोंका विरोध-प्रदर्शन जोर पकड़ रहा था, तब यूरोपीय संसदने चुपचाप एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव इस्लामिस्ट एंट्रीज्म और मुस्लिम ब्रदरहुड नेटवर्कके प्रभावका मुकाबला करनेके लिए एक ईयू रणनीतिकी आवश्यकतापर केंद्रित था। इसे संसदके सबसे बड़े समूह ईपीपीने पेश किया था। यह प्रस्ताव ३८१ वोटोंके समर्थनसे पारित हुआ, जबकि १६७ वोट इसके खिलाफ पड़े। ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय संसदके १५ सदस्य इस मतदानसे दूर रहे। ज्यादातर सांसदोंने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाये।

सस्ता डाटा पड़ रहा है महंगा

डाटाके गलत इस्तेमालकी समस्याको कम करनेके लिए ट्राई कड़े कदम उठा सकता है। टेलीकॉम कम्पनियोंको निर्देश दे सकता है कि वे हर दिन एक या दो जीबी डाटा देनेके बजाय, महीनेमें दोसे पांच जीबीतक सीमित डाटा दें।

❒ **प्रोफेसर अश्विनी महाजन**

भारत दुनियामें सबसे सस्ता डाटा उपलब्ध कराने वाले देशोंमें शामिल है। भारतमें प्रति जीबी डाटाकी कीमत मात्र पांचसे छह रुपये ही है। २०१४ में यह कीमत २६९ रुपयेसे ३०८ रुपये प्रति जीबी थी। यानी पिछले १२ वर्षोंमें डाटाकी कीमत ९७ प्रतिशत घटी है। यदि वाई-फाई डाटाकी बात करें तो कई सार्वजनिक स्थानमें तो यह मुफ्त उपलब्ध होता है। निजी तौरपर भी यह घरों और व्यावसायिक स्थलोंपर विभिन्न कम्पनियों द्वारा सालभरमें मात्र ५००० से १०,००० रुपये प्रति वर्षकी कीमतपर लगभग असीमित डाटा मिलता है। डाटाकी गतिके अनुसार कीमत तय होती है। गौरतलब है कि अभीतक देशमें ७.२२ लाख किलोमीटर अपटिकल फाइबर केबल बिछायी जा चुकी है। भारतमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट दुनियामें दूसरे स्थानपर है। इस विस्तारके कारण भारतमें स्मार्टफोन तीन तेजीसे बढ़ी है। इसके कारण भारतमें डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मका चलन बढ़ा है। भारतमें ब्रॉडबैंड सौ करोड़तक पहुंच चुका है।

अन्य देशोंसे तुलना भारतमें डाटा अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान ही नहीं चीनसे भी कहीं सस्ता है। जहां अमेरिकामें यह ३.५ गुना ज्यादा ०.२० डालर प्रति जीबी है, चीनमें यह आधा डालर यानी ४७ रुपये प्रति जीबी है। दुनियाके अधिकांश देशोंमें मोबाइल डाटाकी कीमत भारतसे अधिक है। गौरतलब है कि सामर्थ्यके हिसाबसे तो भारतमें यह और भी अधिक अफॉर्डेबल है। जहां भारतकी प्रति व्यक्ति आय दुनियामें १४६वें स्थानपर आती है, मोबाइल डाटाकी कीमतमें किफायतमें भारतका स्थान सबसे ऊपरके देशोंमें होना यह बताता है कि भारतमें डाटा बहुत ही अफॉर्डेबल है। कितना उपयोग होता है डाटा। टेलीकॉम निर्माता नोकिया कम्पनीके अनुसार भारतमें प्रति व्यक्ति वार्षिक डेटा उपयोग २०२५ में ३१ जीबीतक पहुंच गया है, जो २०२४ में २७.५ जीबी ही था। डाटाका उपयोग पिछले पांच वर्षोंमें २१.७ प्रतिशत प्रतिवर्षकी दरसे बढ़ा है। केवल डाटा ही नहीं डाटाकी स्पीडमें भी खासा विकास हुआ है। आज भारतमें ५जी पैंठ २५ प्रतिशतसे अधिक है और मेट्रो शहरोंमें तो यह ५८ प्रतिशतसे अधिक है। कहां उपयोग होता है डाटा- महत्वपूर्ण बात यह है कि डाटाका प्रयोग कहां और कितना होता है। भारतमें २०२५ में ५० करोड़ सोशल मीडिया उपयोग करने वाले मोबाइल ग्राहक थे। न्यूज एजेंसी रॉयटरका कहना है कि भारतमें प्रतिदिन औसतन भारतीय ३.२ घंटे सिर्फ सोशल मीडिया एप्सपर ही खर्च करता है।

संदेश भेजने या प्राप्त करनेपर एक घंटा छह मिनट प्रतिदिन इस्तेमाल होते हैं, जो व्यैक्तिक और व्यवसाय संबंधी दोनों हो सकते हैं। बिजनेस और उपयोगिताके लिए मात्र ४२ मिनट ही इस्तेमाल होते है और अन्यपर ३५ मिनट। यानी कहा जा सकता है कि उत्पादकताकी दृष्टिसे मात्र ४२ मिनट और लगभग ९० मिनट मिश्रित कार्य निष्पादन जैसे, संचार, शिक्षा, नैविगेशन, बैंकिंग, शोपिंग आदिके लिए इस्तेमाल होता है। यानी कहा जा सकता है कि कुल पांच घंटे ४५ मिनटका समय औसतन मोबाइलपर खर्च होता है, जिसमेंसे लगभग ६० प्रतिशत तो सिर्फ सोशल मीडिया और शेष ४० प्रतिशत अन्य-अन्य कार्योंपर खर्च होता है। समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रामें भारतके लोगों, जिनमेंसे अधिकांश युवा हैं, का समय अनुत्पादक गतिविधियोंके लिए इस्तेमाल होता है। ईवाईके अनुसार वर्ष २०२५ में भारतीयोंने १२३ करोड़ घंटे स्मार्टफोनपर इस्तेमाल किये, जो ५.८ घंटे प्रति दिन माना जा सकता है और इनमें ६० प्रतिशत तो सिर्फ सोषल मीडिया एप्सपर ही खर्च हुए।

पिछले १२ सालोंमें जैसे-जैसे डाटा सस्ता हुआ है, उससे भारतमें डाटाका उपयोग पहलेसे ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल कम्पनियां ग्राहकोंको आकर्षित करनेके लिए ऐसे प्लान लेकर आती है, जिससे डाटाका उपयोग और ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरणके लिए हम देखते हैं कि पूर्वमें जहां कॉलिंगके साथ डाटा सीमित रूपसे, एक जीबी या दो जीबी प्रति माह मिलता था, लोग डाटाका किफायती इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब प्रतिदिन एक जीबी या दो जीबी डाटाके प्लान उपलब्ध है, जिसके कारण डाटाका ज्यादा उपयोग होता है। यहां समझना होगा कि डाटाका उपयोग बढ़नेके साथ ही साथ समयकी खपत भी बढ़ती है। हालमें ग्राहकोंको राहत देनेकी दृष्टिसे मोबाइल कम्पनियोंपर दबाव बढ़ा है कि जिसको जितनी आवश्यकता हो, उसी प्रकारका प्लान उसको उपलब्ध कराया जाये। टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया (ट्राई) ने हालमें टेलीकॉम कम्पनियोंको निर्देश दिया है कि वे वॉयस कॉल और एसएमएसके साथ डाटाको अनिवार्य रूपसे बंडल करना बंद करें। उदाहरणके लिए, कम्पनियोंसे कहा गया है कि वे ऐसे प्लान भी दें जिनमें सिर्फ वॉयस और एसएमएसकी सुविधा हो और डाटा शामिल न हो। इस कदमसे उन ग्राहकोंका खर्च कम होगा, जिन्हें डाटाकी जरूरत नहीं होती और जो अपने मोबाइल फोनका इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने या एसएमएस भेजनेके लिए करते हैं। हालांकि सस्ते डाटाके गलत इस्तेमालकी समस्याको कम करनेके लिए ट्राई एक और कदम उठा सकता है। वे टेलीकॉम कम्पनियोंको निर्देश दे सकते हैं कि वे हर दिन एक या दो जीबी डाटा देनेके बजाय, महीनेमें दोसे पांच जीबीतक सीमित डाटा दें, ताकि डाटाका इस्तेमाल किया जा सके। यही नहीं माता-पिता जिन्होंने अपनी बच्चोंको स्मार्टफोन इसलिए दिलाये हैं, ताकि वे अपनी शिक्षाकी आवश्यकताको पूर्ण कर सकें उनके लिए भी सीमित डाटाके प्लान ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसेमें बच्चे डाटाका मितव्यतासे उपयोग करना सीखेंगे और समयका दुरुपयोग भी नहीं होगा और बच्चे मोबाइलसे ध्यान हटा कर खेलने और दूसरी रचनात्मक गतिविधिओंमें ध्यान लगायेंगे।

आत्मबोध

सद्गुरुकी कृपा

❒ **अवधविहारी शुक्ल**

इस वैज्ञानिक युगमें संचार तकनीकीके आत्मबोध अथवा भव बंधनसे मुक्ति हेतु सभी धर्मग्रंथों विशेषकर उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता, रामचरितमानस, गुरुवाणी तथा सभी प्रकरणमें भी सद्गुरुका सानिध्य माध्यमसे सभी सूचनाएं सुदूर क्षेत्रोंमें भी जनमानसको सुलभ हो गयी हैं। अब कोई भी व्यक्ति दूर शिक्षाके माध्यमसे मुद्रित सामग्री, इंटरनेट, ऑडियो विडियो आदि उपकरणोंके माध्यमसे किसी भी पाठ्यक्रमकी पढ़ाई कर सकता है। ऐसी स्थितिमें यह सहज प्रश्न है कि अध्यात्मके ज्ञानार्जन हेतु उसे गुरुके पास जानेकी क्या आवश्यकता है। विशेष रूपसे तब जब उसे विभिन्न धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओंके उपदेश विभिन्न चैनलोंपर सुननेको उपलब्ध है। इस प्रकरणमें निम्न बिन्दु विचारणीय हैं। (१) दूर संचार एवं दूर शिक्षाके माध्यमसे पढ़ाये जाने वाले विविध प्रयोगात्मक विषय जैसे-विज्ञान, कम्प्यूटर आदिकी सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरा करनेके लिए छात्रोंको कुछ समयके लिए नियमित रूपसे शिक्षकके समक्ष अध्ययन करना पड़ता है। जब इस प्रकारकी अपरा विद्याके अध्ययन हेतु भी छात्रोंको गुरुके समक्ष जाना पड़ता है तो ब्रह्म विद्या (जो कि इन्द्रियातीत ज्ञान है) को उपलब्ध करने हेतु दूर शिक्षा प्रणाली सद्गुरुका विकल्प नहीं हो सकती। (२) हमें अपने स्वरूपका अज्ञान अनादि कालसे है और इसी कारण अनेक जन्मोंसे बन्धनमें पड़े हैं। प्राय: अधिकांश वक्ता एवं कथावाचक बुद्धिजीवियोंकी भांति केवल बौद्धिक बातें ही करते हैं। (३) अनादि कालसे अज्ञानमें डूबे व्यक्तिको ब्रह्म विद्याके सीखने हेतु गुरु एवं शास्त्र वचनोंमें अटूट श्रद्धाका होना परमावश्यक है। श्रद्धाका विकास गुरुके सानिध्यमें ही सम्भव है मात्र दूरदर्शनपर प्रवचन सुननेसे श्रद्धा नहीं हो सकती। सद्गुरुके सानिध्यके बाद दूरसंचारके माध्यमसे सद्गुरुके प्रवचनोंका श्रवण अवश्य लाभकारी सिद्ध होगा। (४) स्वरूप वोधसे इतर विविध प्रकारके ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकृति वाले हैं क्योंकि वे अपनेसे इतर ज्ञान हैं जिसे बुद्धि एवं मनसे जाना जा सकता है जबकि स्वरूप बोध आत्मनिष्ठ प्रकृति वाला है जिसे न तो आप अपनी बुद्धि या मनसे जान सकते हैं और न अन्य कोई दूसरा आपके स्वरूप बोधकी स्थितिको जान सकता है। इस प्रकारके अद्वितीय ज्ञानको सद्गुरु आपके समक्ष उद्घाटित करते हैं। यह कार्य चैनलके माध्यमसे संभव नहीं है। (५) ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवतिके अनुरूप सद्गुरुका आचरण एवं उनके जीवनकी विभिन्न गतिविधियां सच्चे साधकको गहराईसे छूती हैं जिससे उसके जीवनमें आमूल-चूल परिवर्तन आता है।

आसान हो फसल बीमाकी प्रक्रिया

❒ **अमन सिंह गौर**

मौसमका बदलता मिजाज अब केवल किसानोंकी चिन्ता नहीं रह गया है। इसका असर आम आदमीकी थाली, रोजगार, पानी और रोजमर्राके खर्चतक दिखाई देने लगा है। कभी बारिशकी कमी खेतोंको सुखा देती है तो कभी कुछ ही घंटोंकी बारिश शहरोंकी सड़कोंको डुबो दे रही है। कहीं गर्मी लोगोंका जीना मुश्किल कर देती है तो कहीं अचानक आयी बाढ़ घर और फसल दोनों छीन ले रही है। ऐसी स्थितियोंमें नुकसान होनेके बाद चिन्ता जताना और राहत पहुंचाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि जब खतरेका अनुमान पहलेसे लगाया जा सकता है तो उससे निबटनेकी तैयारी समय रहते क्यों नहीं होती। इस वर्षका मानसून इस चिन्ताको और गम्भीर बनाता है। भारत मौसम विज्ञान विभागके अनुसार, जूनसे सितंबर २०२६ के बीच देशमें ७५९.५ मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य वर्षा ८६८.६ मिलीमीटर है। यानी बारिशमें करीब १२.६ प्रतिशतकी कमी रही। मौसम विभागने अक्तूबरमें भी देशभरमें सामान्यसे कम बारिशकी आशंका जतायी है। इसका असर रबीकी बुवाई, मिट्टीकी नमी और सिंचाईके लिए पानीकी उपलब्धतापर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालयके अधिकारियोंने भी इस बार रबीकी फसलके लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियोंकी आशंका जतायी है।

हालांकि मौसमकी मारका मतलब केवल बारिशकी कमी नहीं है। कई बार कम समयमें इतनी बारिश हो जाती है कि खेतोंमें खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। कहीं सूखेकी स्थिति बनती है तो कहीं जलभरावसे नुकसान होता है। समस्या यह है कि हम मौसमको अक्सर एक ऐसी घटना मानकर चलते हैं, जिसका सामना होनेपर ही कुछ किया जा सकता है। जबकि सचाई यह है कि मौसमका अनुमान लगाना सम्भव है और उसके संभावित प्रभावोंको कम करनेके लिए पहलेसे कदम भी उठाये जा सकते हैं। मौसम विभागकी चेतावनियां तभी उपयोगी हैं, जब उनके आधारपर जमीनपर तैयारी हो। यदि किसी क्षेत्रमें कम बारिशकी आशंका है तो किसानोंको समय रहते बताया जाना चाहिए कि कौन-सी फसल बोना उचित होगा, किस किस्मके बीजका इस्तेमाल करना चाहिए और पानीकी उपलब्धताके अनुसार खेती कैसे की जाय। केवल मोबाइलपर सन्देश भेज देना पर्याप्त नहीं है। गांवोंमें ऐसे किसान भी हैं जिनके पास जानकारी तो पहुंच जाती है लेकिन समयपर बीज, सिंचाई या कृषि सलाह उपलब्ध नहीं हो पाती। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्रोंको इस अन्तरको दूर करना होगा।

जल संरक्षणके मामलेमें भी गम्भीरता दिखानेकी जरूरत है। बारिशके दिनोंमें पानी बहकर निकल जाता है और कुछ महीनों बाद गांवोंमें पेयजल तथा सिंचाईका संकट खड़ा हो जाता है। तालाबोंपर अतिक्रमण, उनकी खराब स्थिति और भूजलका लगातार दोहन इस समस्याको बढ़ाते हैं। यदि गांवोंके तालाबोंको समय रहते साफ कराया जाएए वर्षाजलको रोकनेकी व्यवस्था हो और खेतोंमें नमी बनाये रखनेके उपाय अपनाये जायं तो कम बारिशके समय कुछ राहत मिल सकती है। इसके लिए हर साल नयी घोषणा करनेके बजाय पुराने जलस्रोतोंको बचाने और उनकी देखरेखकी जिम्मेदारी तय करना ज्यादा जरूरी है। यह भी समझना होगा कि हर क्षेत्रकी जरूरत एक जैसी नहीं होती। जहां पानीकी कमी है, वहां कम पानीमें तैयार होने वाली फसलोंको बढ़ावा देना उपयोगी हो सकता है। लेकिन किसान केवल सलाहके आधारपर अपनी खेती नहीं बदल सकता। उसे बीज, बाजार और उचित दामका भरोसा भी चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि किसान मौसमके अनुसार फसलका चुनाव करे तो उसे जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। फसल बीमाकी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए और नुकसान होनेपर मुआवजा समयसे मिलना चाहिए। किसानको संकटसे उबरनेके लिए अगली फसलतक कर्जके बोझमें दबे रहनेके लिए नहीं छोड़ा जा सकता। शहरोंमें भी तैयारीकी कमीका खामियाजा आम लोगोंको भुगतना पड़ता है। हर साल बारिशके दौरान जलभराव, यातायात बाधित होने और नालोंके उफननेकी शिकायतें सामने आती हैं। इसके बावजूद कई जगहोंपर नालोंकी सफाई और जलनिकासीकी व्यवस्था समयपर नहीं हो पाती। दूसरी ओर गर्मी बढ़नेपर पेयजल संकटसे निबटनेकी कोशिश शुरू होती है। नगर निकायोंको मौसम बदलनेसे पहले ही अपनी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। जलभराव वाले इलाकोंकी पहचान, नालोंकी सफाई, पेयजलके वैकल्पिक इंतजाम और जरूरत पड़नेपर राहत पहुंचाने की योजना पहलेसे तैयार रहनी चाहिए। सरकारके अलग-अलग विभागोंके बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है, कृषि विभाग किसानोंको सलाह देता है, सिंचाई विभाग पानीका प्रबंधन करता है और स्थानीय प्रशासन राहतकी व्यवस्था देखता है। लेकिन यदि इन विभागोंके बीच तालमेल नहीं होगा तो अच्छीसे अच्छी योजना भी अधूरी रह जायगी। जिला स्तरपर मौसमकी चेतावनीके आधारपर जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। पंचायतों और स्थानीय निकायोंको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि स्थानीय जरूरतों और समस्याओंकी जानकारी सबसे बेहतर उन्हें ही होती है। मौसमके हर बदलावको रोकना मनुष्यके हाथमें नहीं है लेकिन उससे होने वाले नुकसानको कम करना जरूर संभव है। इसके लिए केवल आपदाके समय सक्रिय होने वाली व्यवस्थासे काम नहीं चलेगा। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जो खतरेकी आशंकाके साथ ही शुरू हो जाय। योजनाओंकी सफलताका आकलन इस आधारपर होना चाहिए कि कितने लोगोंका नुकसान बचाया गया, कितना पानी सुरक्षित रखा गया और किसानोंको उचित समयपर मदद मिली या नहीं। मौसमकी मारको पूरी तरह टालना संभव नहीं लेकिन हर बार नुकसानके बाद ही जागना बुद्धिमत्ता नहीं है। प्रकृतिके संकेतोंको समय रहते समझना और उनके अनुसार तैयारी करना ही समझदारी है। संकट आनेपर राहत देना जरूरी है, लेकिन उससे पहले नुकसान रोकनेकी कोशिश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।